निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (शo)

(सं0 पटना 806) पटना, मंगलवार, 7 अक्तूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर 2014

सं0 22 नि0 सि0(मोति0)–08–08/2013/1379––श्री दिनेश गिरी (आई0 डी0–2551), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0–1, बेतिया के पद पर पदस्थापित थे तब इनके विरूद्व तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0–532 एवं वि0 दू0–426 पर टूटान होने, कार्य में अभिरूची नहीं लेने एवं लापरवाही, उदासीनता बरतने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) निमयावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति से विभागीय संकल्प सं0–1094 दिनांक 12.9.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 34 दिनांक 01.04.14 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए पाया गया कि कनीय अभियन्ता के स्तर से समय पर सही ठंग से नहर का निरीक्षण किया गया होता तो नहर का टूटान नहीं होता। आरोपी द्वारा टूटान स्थल पर 7 फीट गहरा बड़ा तालाब को टूटान का कारण बताया गया है, जबकि उक्त स्थल पर नहर बांध की चौड़ाई 40 फीट है एवं नहर के रूपांकित जलश्राव 68.7 धनसेक के विरूद्व टूटान के समय नहर में मात्र 3200 धनसेक जल प्रवाहित हो रहा था। इससे स्पष्ट है कि नहर टूटान स्थल पर पानी का रिसाव/पाईपिंग बहुत पहले से हो रहा होगा जिसे नहीं देखा गया और नहर टूट गई। आरोपी पदाधिकारी का अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण एवं नहर संचालन जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य में अधीनस्थों का कार्य पर उपस्थिति सुनिश्चित कराना कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व है किन्तु श्री गिरी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सफलता पूर्वक नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।

तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 532.00 पर दिनांक 26.6.13 को हुए टूटान के संबंध में श्री गिरी द्वारा अपने बचाव बयान में उद्वित किया गया कि दिनांक 21.6.13 को रात्री 9.30 बजे श्री उमा शंकर यादव, कनीय अभियन्ता से वि0 दू0–537 पर सी0/आर0 गेट मुजफ्फरपुर के कार्यपालक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा भेजे गये व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती बन्द करा दिये जाने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता तत्काल गेट खोलवाने हेतु निदेश दिया गया एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन की मदद लेने हेतु निदेशित किया गया तथा दिनांक 22.6.13 को सुबह पुलिस बल की मदद से गेट खुलवाया गया। किन्तु तबतक 537 आर0 डी0 पर पानी 9'. 0'' हेड हो जाने के कारण वि0 दू0 532 पानी ओभर टॉप होकर करीब 25' में नहर टूट गई।

श्री गिरी के उपरोक्त बचाव बयान को संचालन पदाधिकारी द्वारा अमान्य किये जाने के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री गिरी, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व अपने सन्निकट कार्यक्षेत्र के प्रभारी अभियन्ताओं से सामन्जस्य/समन्वय

नहीं रखने एवं कार्य में रूचि नहीं लेने संबंधी आरोप को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री गिरी के विरूद्व निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः–

1. निन्दन वर्ष 2013–14
2. ''कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे सदैव के लिए अवनति''।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री गिरी, कार्यपालक अभियन्ता, को निम्नदण्ड दिया जाता हैः–

1. निन्दन वर्ष 2013–14
2. ''कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे सदैव के लिए अवनति''।

उक्त अधिसूचना आदेश श्री गिरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 806-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in